

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0

दिनांक

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् संबंधी संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित झारखण्ड राज्य के जिलों/क्षेत्रों का वर्गीकरण के प्रायोज्य सभी नियोजनों में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों में, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता घोषित करते हैं, जो नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ-2 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित्त तालिका के स्तम्भ-3 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्र० सं०	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016 = 100)
1	2	3
1.	जनवरी, 2026	148.6
2.	फरवरी, 2026	148.5
3.	मार्च, 2026	149.1
4.	अप्रैल, 2026	149.9
5.	मई, 2026	150.8
6.	जून, 2026	151.9
7.	कुल	898.8
8.	6 माह का औसत	$898.8 \div 6 = 149.8$
9.	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	149.8×2.88 $= 431.42$ या 431
10.	जनवरी, 2023 से जून, 2023 की अवधि के आधार पर पुनरीक्षित/निर्धारित औसत सूचकांक	386 बिन्दु
	सूचकांक में वृद्धि	$431 - 386 = 45$ बिन्दु
11.	प्रतिशत वृद्धि $= \frac{45 \times 100}{386}$	11.65 %

2. परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर सभी नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2023 से जून, 2023 की



अवधि के औसत सूचकांक के आधार पर व झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के बैठक के आधार पर पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें दिनांक-11.03.2024 से प्रभावी है।

3. सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी।
4. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जनवरी, 2026 से जून, 2026 (वर्ष-2026 के प्रथम अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, जो दिनांक-01.10.2026 की तिथि से देय होगा।
5. पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें, जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता प्रभावी है, सभी प्रतिष्ठानों में लागू है।

संख्या-2/एम0डब्लू0-2071/2010 (भाग-3) श्र0नि0, 1603, राँची, दिनांक 15/10/2026

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Rc.
15/10/2026
अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

अधिसूचना

एस0ओ0.....दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Rc.
15/10/2026
अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

NOTIFICATION

S.O...../dated/In exercise of the powers conferred by section-6 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), The Governor of Jharkhand is pleased to declare Variable Dearness Allowance (V.D.A.) on the basis of average consumer price index in the minimum rates of wages fixed/revised for the different categories of employees employed in all employments applicable to classification of districts/areas of Jharkhand state mentioned in the attached Schedule-1, for the months shown in column-2 of the schedule mentioned below, shall be as shown in column-3 of the said schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

S.N.	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2016 =100)
1	2	3
1	January, 2026	148.6
2	February, 2026	148.5
3	March, 2026	149.1
4	April, 2026	149.9
5	May, 2026	150.8
6	June, 2026	151.9
7	Total	898.8
8	Average	$898 \div 6 = 149.8$
9	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	$149.8 \times 2.88 = 431.42$ OR, 431
10	Revised/determined average index based on the period January, 2023 to June, 2023	386 Point
	Increase in CPI	$431 - 386 = 45$ Point
11	Percentage Increase = $\frac{45 \times 100}{386}$	11.65 % increase

2. The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in all employments. It is noteworthy that on the basis of the average index for the period from January, 2023 to June, 2023 and on the basis of the meeting of Jharkhand Minimum Wage Advisory Board, the above revised basic rates of minimum wage are effective from 11.03.2024.

3. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column-3 of schedule with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages had been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.
4. The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of January, 2026 to June, 2026 which is 1st half of 2026, will be payable from **01.10.2026**.
5. The revised minimum basic rates of wages, on which the Variable Dearness Allowance (VDA) is effective, are applicable in all establishments.

No-02/MW-2071/2010(Part-3) L&T- 1604 Ranchi, Dated 15/10/26

By Order of the Governor of Jharkhand,

Rec.
15/10/2026

Under Secretary,
Labour Commissioner Office, Jharkhand.

अनुसूची - 1

दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के बैठक में हुए सहमति के आलोक में न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षण हेतु झारखण्ड राज्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नवत है :-

झारखण्ड राज्य के जिलों/क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्र०सं०	श्रेणी	आच्छादित क्षेत्र
1	2	3
1	A	राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र।
2	B	"A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र (नगरनिगम, नगर परिषद् व नगर पंचायत)
3	C	राज्य के अन्य क्षेत्र

"A" श्रेणी के क्षेत्र (राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र) हेतु दिनांक-01.10.2026 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:-

दैनिक दरें

क्र०सं०	कोटि	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2026 से देय)	कुल
1	2	3	4	5
1	अकुशल	468	55	523
2	अर्द्धकुशल	491	57	548
3	कुशल	647	75	722
4	अतिकुशल	746	87	833

मासिक दरें

क्र०सं०	कोटि	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2026 से देय)	कुल
1	2	3	4	5
1	अकुशल	12,168	1418	13586
2	अर्द्धकुशल	12,766	1487	14253
3	कुशल	16,822	1960	18782
4	अतिकुशल	19,396	2260	21656



"B" श्रेणी के क्षेत्र ("A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र) हेतु दिनांक-01.10.2026 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:-

दैनिक दरें

क्र०सं०	कोटि	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2026 से देय)	कुल
1	2	3	4	5
1	अकुशल	446	52	498
2	अर्द्धकुशल	468	55	523
3	कुशल	617	72	689
4	अतिकुशल	712	83	795

मासिक दरें

क्र०सं०	कोटि	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2026 से देय)	कुल
1	2	3	4	5
1	अकुशल	11,596	1351	12947
2	अर्द्धकुशल	12,168	1418	13586
3	कुशल	16,042	1869	17911
4	अतिकुशल	18,512	2157	20669

"C" श्रेणी के क्षेत्र (राज्य के नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र) हेतु दिनांक-01.10.2026 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:-

दैनिक दरें

क्र०सं०	कोटि	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2026 से देय)	कुल
1	2	3	4	5
1	अकुशल	425	50	475
2	अर्द्धकुशल	446	52	498



3	कुशल	588	69	657
4	अतिकुशल	678	79	757

मासिक दरें

क्र०सं०	कोटि	दिनांक- 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (दिनांक- 01.10.2026 से देय)	कुल
1	2	3	4	5
1	अकुशल	11,050	1287	12337
2	अर्द्धकुशल	11,596	1351	12947
3	कुशल	15,288	1781	17069
4	अतिकुशल	17,628	2054	19682

2. यह अधिसूचना दिनांक-01.10.2026 से प्रभावी होगी।

टिप्पणी :-

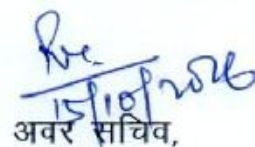
- (क) न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों का पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386, जो जून, 2023 के सूचकांक व झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद की बैठक में हुए सहमति/विमर्श पर आधारित है।
- (ख) जनवरी, 2026 से जून, 2026 तक का औसत सूचकांक 431, जिस पर महंगाई भत्ता देय है।
- (ग) झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद की सहमति के आलोक में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता पूर्णांक (round off) में परिवर्तित कर दिया गया है।
- (घ) न्यूनतम मजदूरी की दरें मजदूरी संहिता, 2019 की धारा-6 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत होंगी।
- (ङ) मासिक मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में रूपांतरण क्रमशः 26 से भाग दे कर और 26 से गुणा कर के किया जाएगा।



- (च) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त निर्धारित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।
- (छ) साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करने वाले कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का भुगतान पाने का हकदार होगा।
- (ज) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।
- (झ) यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 का 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है और यह उक्त संहिता की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण में आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगी।

संख्या-2/एम0डब्लू0-2071/2010 (भाग-3) श्र0नि0, 1603, राँची, दिनांक 15/10/26

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

Annexure- 1

In the light of the consensus reaches in the meeting of Jharkhand Minimum Wages Advisory Board on October 11, 2023, the classification of areas of Jharkhand state is made as follows :-

Classification of districts/ areas of Jharkhand State.

Sl.No.	Category	Covered Areas
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	A	Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas.
2	B	All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category)
3	C	Other areas of the state.

The Minimum Wage for "A" Category area (*Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas*) from dated 01.10.2026 is as follows:-

Daily Rates

S.No.	Category	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2026	Total
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Unskilled	468	55	523
2	Semi Skilled	491	57	548
3	Skilled	647	75	722
4	Highly Skilled	746	87	833

Monthly Rates

S.No.	Category	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2026	Total
1	2	3	4	5
1	Unskilled	12,168	1418	13586
2	Semi Skilled	12,766	1487	14253
3	Skilled	16,822	1960	18782
4	Highly Skilled	19,396	2260	21656

The Minimum Wage for "B" Category area (All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category) from dated 01.10.2026 is as follows :-

Daily Rates

S.No.	Category	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2026	Total
1	2	3	4	5
1	Unskilled	446	52	498
2	Semi Skilled	468	55	523
3	Skilled	617	72	689
4	Highly Skilled	712	83	795

Monthly Rates

S.No.	Category	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2026	Total
1	2	3	4	5
1	Unskilled	11,596	1351	12947
2	Semi Skilled	12,168	1418	13586
3	Skilled	16,042	1869	17911
4	Highly Skilled	18,512	2157	20669



The Minimum Wage for "C" Category area (Areas other than municipal areas of the State) from dated 01.10.2026 is as follows

Daily Rates

S.No.	Category	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2026	Total
1	2	3	4	5
1	Unskilled	425	50	475
2	Semi Skilled	446	52	498
3	Skilled	588	69	657
4	Highly Skilled	678	79	757

Monthly Rates

S.No.	Category	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2026	Total
1	2	3	4	5
1	Unskilled	11,050	1287	12337
2	Semi Skilled	11,596	1351	12947
3	Skilled	15,288	1781	17069
4	Highly Skilled	17,628	2054	19682

2. This notification will be effective from 01.10.2026.

NOTE:-

- The Basic rates of Minimum wages are based on the All India Consumer Price Index Number 386, which is Price Index of June, 2023
- The average index from January, 2026 to June, 2026 is 431, on which dearness allowance is payable.
- In the light of the consent of Jharkhand Minimum wage Advisory Board, the rate of variable dearness allowance has been rounded off.



- (d) The rates of Minimum Wages shall be within the meaning of sub-section (1) of section-6 of the Code on Wages, 2019.
- (e) Conversion of the monthly rates of wages into daily rates of wages and vice versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and multiplying the daily rates by 26.
- (f) The rates of Minimum Wages above include the remuneration payable to the employees in respect of the day of rest in every period of seven days.
- (g) An employee shall, for the work done on the weekly day of rest, be entitled to overtime payment of the rate prescribed in rule-25 of the Jharkhand Minimum Wages Rules-1951.
- (h) Men and Women workers shall get the same rates of wages for the work of a similar nature .
- (i) The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and shall remain in force till the corresponding order is issued in pursuance of sub-section (2) of section 7 of the said Code.

No-2/MW-2071/2010(Part-3), L & T-.....1603.....Ranchi, Dated 15/10/24

By order of the Governor of Jharkhand,

Rc.
15/10/24
Under Secretary,

Labour Commissioner Office, Jharkhand.

ज्ञापांक-2/एम०डब्ल्यू०-2071/2010 (भाग-3)अ०नि०.1603 राँची, दिनांक: 15/10/24

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Rc.
15/10/24
अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2071/2010(भाग-3) श्र०नि० 1603... राँची, दिनांक: 15/10/26
प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड,
राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

Re.
15/10/2026
अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2071/2010(भाग-3) श्र०नि० 1603... राँची, दिनांक: 15/10/26
प्रतिलिपि:— अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक,
श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्तिभवन,
नईदिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला /चण्डीगढ़
/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उप विकास आयुक्त,
झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद (केन्द्रीय) श्रम शक्तिभवन, नई दिल्ली/
न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के सभी सदस्य गण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य
विकास निगम,राँची/ निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी विभागीय
पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

Re.
15/10/2026
अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।